

मैं आपका ध्यान राजस्थान के प्रति एवं विश्व के 16 करोड़ नागरिकों की मातृभाषा राजस्थानी की ओर आकृष्ट कर निवेदन करता हूँ कि यह भाषा सर्वगुण सम्पन्न होने के बावजूद, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के चाहते हुए भी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिए जाने का मुख्य कारण राजस्थान विधान सभा की ओर राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना था। लेकिन श्री अशोक गहलोत सिंह जी, मुख्य मंत्री राजस्थान के नेतृत्व में 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा ने सर्वसम्मति के द्वारा राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित कर, केन्द्र सरकार को भेजकर राजस्थानी भाषा की मान्यता का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके दुष्परिणामस्वरूप आज तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल पाई है। केन्द्र सरकार संसद के भीतर एवं बाहर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्य देने का आश्वासन पिछले एक वर्ष से देती आ रही है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

मान्यवर, यह ऐसी एक भाषा है, केवल राजस्थान में ही नहीं, अपितु सारी दुनिया में जहाँ-जहाँ ये 16 करोड़ लोग बसे हुए हैं, इस भाषा को बोलते हैं। इस भाषा में सब तरह की समृद्धि हो चुकी है। जिन छोटी-छोटी भाषाओं को ऑलरेडी 8th शैड्यूल में ले लिया गया है, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। कई बार इस सदन में भी आश्वासन दिया गया है कि हम इसको भी ले लेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि जब सभी भाषाओं को लेंगे। तभी इनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। कुल 32 भाषाओं को लेने की चर्चा चल रही है। आप चाहे जितनी भाषाओं को लें, लेकिन राजस्थानी भाषा के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसको जल्दी से जल्दी इसमें ले लिया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए, आप बोलिए। मैंने आपको रोका नहीं है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: इसलिए इस भाषा को जल्द से जल्द 8th शैड्यूल में लेना चाहिए। इसी में देश की उन्नति का भी सवाल है, राजस्थान की उन्नति का सवाल है, राजस्थानी भाषा बोलने वालों की उन्नति का सवाल है। इसको लेने में सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस भाषा को और समृद्धि मिल जाएगी। हमें इससे और कोई लाभ मिलेगा, हमें ऐसी आशा नहीं है, लेकिन जिस भाषा को 16 करोड़ आदमी, पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बोल रहे हैं, कम से कम इस भाषा की ओर मैं अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.

SHRI O.T. LEPCHA (Sikkim): I also associate myself what the hon. Member has mentioned, Sir.

Non-renewal of CGHS cards given to journalists

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका के बाद यदि प्रेस का खम्बा मजबूत न हो, तो लोकतंत्र लड़खड़ा जाएगा और हम पार्लियामेंट की कल्पना तो प्रेस के बिना कर ही नहीं सकते। पार्लियामेंट और प्रेस का चोली-दामन का साथ है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। महोदय, कल एक पत्रकार की मीत की इतनी दुखदाई घटना घटी है, जिसने मन को व्यथित भी किया और भुब्ध भी किया। वह मीत समुचित इलाज के अभाव में हुई, पैसे की कमी के कारण हुई। महोदय, पत्रकार भी कोई छोटे-मोटे नहीं थे, स्टेट्समैन के एडिटर एस् सहाय के पुत्र श्री तारा शंकर सहाय थे। वे अपने आप में एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। वे समुचित इलाज के अभाव में कल मर गए। उनके लिए पीएम रिलीफ फंड से पैसा मांगा गया। पीएम रिलीफ फंड से शायद डेढ़ लाख रुपया मिला था, लेकिन इलाज की सुविधा का सब्स्टीट्यूट, राहत पैसा नहीं हो सकता, रिलीफ मनी नहीं हो सकता। एक विषय सी.जी.एच.एस. कार्डों के नवीनीकरण का, 3 दिन पहले मेरे साथी सांसद अली अनवर जी ने उठाया था, लेकिन तारा शंकर सहाय की मृत्यु के बाद यह मामला पुनः प्रासंगिक हो गया। महोदय, आज इसीलिए मैं आपकी अनुमति से, यह मामला उठाना चाह रही हूँ। सी.जी.एच.एस. कार्डों की सुविधा पुराने

एक्रेडिटेड पत्रकारों को लगभग बीस सालों से मिल रही थी। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं, जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, तब यह सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन आगे आने वाली सरकारों ने इसको जारी रखा था। मैंने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इसको आगे बढ़ाया था। मैंने सूचना मंत्री के तौर पर एक पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद यह सरकार न तो योजना बंद कर रही है और न ही योजना को जारी कर रही है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। दूसरे सदन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री पनबाक लक्ष्मी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम योजना को डिस्कॉर्टीन्यू नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज तक सी.जी.एच.एस. कार्डों का नवीकरण उन एक्रेडिटेड जनर्लिस्ट्स का नहीं हो रहा है तो यह एक किस्म से बंद ही है। यहां सूचना प्रसारण मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यह मामला वित्त और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में उलझा हुआ है। मंत्री उलझे रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तव में पत्रकारों के कल्याण का काम आपके मंत्रालय के नीचे आता है। आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, दोनों मंत्रियों के बीच में समाधान करवाइए और यह जो योजना चल रही थी, इलाज की सुविधा का लाभ उन एक्रेडिटेड जनर्लिस्ट्स को दोबारा से दिलवाइए, यही मेरी सदन से प्रार्थना है।

श्री अली अनवर (बिहार): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री बी. नारायणसामी (पुडुचेरी) उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

डा. चन्दन मिश्र (नाम-निर्देशित): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the hon. Members associate themselves with it. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister wants to respond ...*(interruptions)*... Just a minute. The hon. Minister wants to respond.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): Mr. Deputy Chairman, Sir, this matter was brought to my notice right from the day one when I assumed office. Sir, it is not only a serious matter but it is also an important matter. I can assure the House that we are at the stage of complete finalisation of the whole process. I could have announced it on the floor of the House, but the House is adjourning tomorrow. Sir, I can assure Sushmaji and the entire House that this matter is a priority issue of the UPA Government. At the same time, I would like to inform Sushmaji that possibly she has forgotten that when she was in the Government, how an accredited journalist, Shri Iftikar Gilani had been hit mercilessly. His house was raided, on the pretext of a spy, which he is not, and the Income-Tax pounced on him. Sir, only last week, I gathered that the tribunal gave him such a serious verdict which he cannot pay at any point of time. Had the proceedings been withdrawn in your time, even that journalist would not have cried. All the journalists. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... यह मसला मेरे पास आया था तभी उसका समाधान हुआ था। ...*(व्यवधान)*... पहली बात तो यह है कि दो मसले एक नहीं हैं ...*(व्यवधान)*... दो मसले समान नहीं हैं ...*(व्यवधान)*... जहां तक गिलानी जी का सवाल है, आप पूछ लीजिए ...*(व्यवधान)*... सभी पत्रकार मेरे पास आए थे ...*(व्यवधान)*... और मैंने ही इंटरवीन करके उसका समाधान करवाया था ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: सुषमा जी, आप बैठिए।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: आपके पास आए थे ...*(व्यवधान)*... लेकिन आप बचा नहीं पाए ...*(व्यवधान)*... उस पर इनकम टैक्स की रेट हुई ...*(व्यवधान)*... उसकी क्या हालत हुई ...*(व्यवधान)*... सदन को बताएंगे ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: इनकम टैक्स की रेट का मुझसे क्या लेना-देना ...*(व्यवधान)*... जिस समय गिलानी जेल में थे ...*(व्यवधान)*...

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I share her concern for the journalists. But, I will not agree with the way the previous Government pounced on Shri Iftikar Gilani. ...*(Interruptions)*... I will never agree with it. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: इनकम टैक्स की रेट का मुझसे क्या लेना-देना ...*(व्यवधान)*... जिस समय गिलानी जेल में थे ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Vijayaraghavan. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Vijayaraghavan. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): पूरे सदन और देश को आप सही बात क्यों नहीं बताते ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिस समय गिलानी जेल में थे ...*(व्यवधान)*... सारे पत्रकार मेरे पास आए थे ...*(व्यवधान)*... मैंने ही हस्तक्षेप किया था ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: सुषमा जी, आप बैठिए।

श्री यशवंत सिन्हा: (झारखंड): उपसभापति जी, ये हर चीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: सुषमा जी, आप बैठिए। Shri A. Vijayaraghavan. ...*(Interruptions)*...

Crisis due to fall in price of Natural vanilla beans

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Sir, I am raising a very urgent matter in the House which is related to the Vanilla farmers in Kerala. Sir, the price of vanilla beans has reduced from Rs. 3,000 per kilogram to Rs. 30 per kilogram. As a result, the farmers are facing very acute crisis. In order to save the farmers, there was a demand to ban the synthetic vanilla, and to introduce natural vanilla flavour for ice-cream manufacturing. Recently, Sir, Amul, the Cooperative Milk Manufacturing Society from Gujarat has taken a decision that in order to save the vanilla beans farmers, henceforth, they are going to use natural vanilla flavour in its entire range of vanilla ice-creams. It is a good step taken by Amul. So, I would urge upon the Government that it should also take a decision making use of natural vanilla in ice-cream mandatory all over India. Sir, use of natural vanilla should be made mandatory for all the manufacturers of ice cream. The manufacturers should switch over from synthetic vanilla to natural vanilla. The Government has to take a decision in this regard. The peasants and agriculturists are demanding this. The Government has to take a decision. I would urge that upon that on the basis of the decision of Amul the Government should also take a decision in this regard as early as possible of switching over from synthetic vanilla to natural vanilla in order to help the farmers a little bit. I urge upon the Government to take an urgent decision in this regard.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, I associate myself with the views expressed by the hon. Member.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, I also associate myself with the views expressed by the hon. Member.

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, I also associate myself with the views expressed by the hon. Member. Synthetic vanilla is not good for health.

Reported statement by MS Taslima Nasrin on her intention to leave India

श्री उपसभापति: श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। Shri Yashwant Sinha to associate.